राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– प.42 / मुसप्र / नियमितीकरण / 2017 / 629 दिनांकः– 15/9/17

उप आवासन आयुक्त (समस्त) /
आवासीय अभियन्ता (समस्त),
वृत / खण्ड ....
राजस्थान आवासन मण्डल,
....

विषयः–घरौंदा योजना अन्तर्गत आवंटित आवासो का बैचान की स्थिति में पश्चातवृर्ति क्रेता के पक्ष में नियमन (नियमितीकरण) बाबत्।

संदर्भः–इस कार्यालय का पत्रांक प.42 / मुसप्र / नियमितीकरण / 2017 / 610 दिनांक 11.09.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा विभिन्न शहरो की घरौंदा आवासीय योजना, आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदको हेतु लाई जाने के कारण इस योजनान्तर्गत आवंटित आवासो का मूल आवंटी द्वारा बैचान कर दिये जाने के कारण पश्चात्वृर्ती केता के पक्ष मे नियमन (नियमितीकरण) हेतु मुख्यालय स्तर पर विस्तृत परीक्षण पश्चात् आपको यह सूचित किया गया था कि आपके अधीनस्थ कार्यालय को इसमे कोई विसंगति अथवा मण्डल नियमो के विरूद्ध कोई तथ्य नजर आता तो सात दिवस में सूचित करें। इस सम्बन्ध में किसी भी वृत / खण्ड कार्यालय द्वारा विसंगति अथवा नियमो के विरूद्ध होने बाबत सूचित नहीं किया है। कुछ आवेदक द्वारा इस योजनान्तर्गत नियमन (नियमितीकरण) के आवेदन फार्म प्राप्त नहीं किये जाने बाबत अवगत कराया है।

अतः सभी सम्बन्धित वृत / खण्ड कार्यालयो को निर्देशित किया जाता है कि घरौंदा योजना अन्तर्गत आवंटित आवासो का मूल आवंटी द्वारा बेचान कर दिये जाने पर पश्चात्वृर्ती केता के पक्ष मे नियमन (नियमितीकरण) हेतु दिनांक 20.09.2017 तक आवेदन फार्म प्राप्त किया जाना सुनिश्चत करे।

उक्त को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. मुख्य अभियन्ता, प्रथम / द्वितीय / मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम / द्वितीय / तृतीय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर / जोधपुर।
3. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पत्र की प्रति सभी उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता को मेल करें।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

E/Mathur